


अज अदालत मुकाम
 बनाव
 नं० सन

किसम मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	<p>द्वारा 10 CRP जल्दी उपस्थापित करवाये जाने किन वारा है। जिसमें जल्दी के निश्चित मामलों में नियमावली क्रम 50 नं० 59/18 निर्दिष्ट करते वारा उपरोक्त तिथि को के निर्देश 100 15 दिने की अवधि के अंतर्गत जिन मामलों का प्रारंभ किया है। निश्चित मामलों में उपरोक्त वारा के मामलों का प्रारंभ है। उपरोक्त प्रारंभिक तिथि को के दिनांक 20 अक्टूबर के अंतर्गत निर्दिष्ट किया जाकर उपरोक्त प्रारंभ होता है। वारा: उपरोक्त 08R1 (5) के तहत प्रारंभ किया जाता है एवं उपरोक्त के तहत उपरोक्त निर्दिष्ट वारा क्रम 59/18 को सिविल नं० निर्दिष्ट के अंतर्गत किया जाता है। एवं उपरोक्त जल्दी उपस्थापित करवाये जाने किन वारा 06R16 व 06R17 CRP के अंतर्गत किया जाता है एवं उपरोक्त जल्दी उपस्थापित करवाये जाने किन वारा निर्दिष्ट किया जाता है। वारा क्रम 50 नं० 59/18 निर्दिष्ट करते वारा उपरोक्त क्रम वारा के निर्देश 100 15 निर्दिष्ट की जाती है। वारा द्वारा प्रारंभ।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०) </p>